श्री

बनाम श्री

किस्म मुकदमा

नम्बर.......................सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो इ
12-6-19	पत्रावली आज पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अ० का प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम धांधपुरा पटवार हल्का पेंगुआ के खाता संख्या 175 पुराना 185 नया मे खसरा संख्या 445 व 445/1 कुल रकबा 4 बिघा बंजर कृषि भूमि स्थित है जिस पर वादी संवत 2039 से पिछले 30 वर्षो से काबिज काश्त है। वाद वर्णित खसरा संख्या 445/1 रकबा 1-14 बिघा कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड वादी का नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज है तथा शेष 2-06 बिघा भूमि वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी गण 1 ता 3 ने जवाब प्रस्तुत कर वादी के वाद का खण्डन करते वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा काश्त होना कथन किया है। पत्रावली में वादी साक्ष्य के रूप मे श्यार सिंह की शहादत पेश हुई। प्रतिवादी साक्ष्य के रूप मे गवाह भोपाल सिंह, ओमाराम की शहादत पेश हुई। मैंने वादी के वाद पत्र जवाब प्रतिवादीगण एवं दोनो पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत गवाहन साक्ष्य का गहनता से अध्ययन किया प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया तथा वाद बिन्दु को ध्यान मे रखते यह निर्णय लिया जाना उचित समझा की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 445 व 445/1 राजस्व रेकार्ड अनुसार सरकारी भूमि है तथा वादी के हक मे खातेदारी प्रदान करना उचित प्रतीत नही होता है क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व जो इस में
	वादी का पुराना कब्जा होना प्रतीत होता है तथा वादी 445/1 का गैर खातेदार भी है जिससे वादी प्रथम दृष्टया नियमन कार्यवाही से वाद ग्रस्त आराजी का अपने हक में नियमन करवाने का अधिकार रखता है। वादी का वाद खातेदारी घोषणा हेतु पोषणीय नहीं होने से वाद खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर, पिण्डवाडा	